

राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक	अंक 60	अप्रैल - जून 2017	सीमित प्रसार के लिए
-----------	--------	-------------------	---------------------

भारत में श्रम कानूनों का बदलता ढांचा

वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम पर दुसरे राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर श्रम कानून ढांचे को पूरी तरह बदलने का कार्य कर रहा है जिसके तहत श्रम कानूनों को सरल एवं व्यवस्थित बनाने के मकसद से 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदला जा रहा है। चार श्रम संहिताओं में पहली है वेतन श्रम संहिता, दूसरी औद्योगिक संबंध श्रम संहिता, तीसरी सामाजिक सुरक्षा व कल्याण श्रम संहिता तथा चौथी है व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्यदशाओं की श्रम संहिता। इसके अलावा विभिन्न श्रम कानूनों के तहत भरे जाने (maintain) वाले 56 रजिस्टरों/फॉर्मों को पांच साझा रजिस्टरों/फॉर्मों में परिवर्तित कर दिया गया है। श्रम नियमों की संख्या भी अब 36 से घटाकर 12 कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए वेतन श्रम संहिता विधेयक (वेज कोड बिल) को मंजूरी दे दी है। औद्योगिक संबंधों की श्रम संहिता को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के लिए तैयार किया जा चुका है तथा इसे पिछले सत्र में संसद में पेश किया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की श्रम संहिता का प्रारूप तैयार हो चुका है जिस पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की समीतियों द्वारा चर्चा कर आखरी रूप देने का काम किया जा रहा है। सुरक्षा एवं कार्य करने की स्थितियों की श्रम संहिता के प्रारूप को अभी श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसको जल्दी ही जनता के सुझावों के लिए पेश किया जाना है।

वेतन श्रम संहिता में न्यूनतम वेतन कानून (1948), वेतन भुगतान कानून (1936), बोनस भुगतान कानून (1965), तथा समान पारितोषिक कानून (1976) को एकजुट किया गया है। इस कोड के अनुसार निर्धारित किये गये नए न्यूनतम मजदूरी मानदंड सभी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। इस कोड के अनुसार सरकार हर पांच साल में न्युनतम मजदूरी निर्धारित करने के साथ सभी राज्यों हेतु न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी एवं प्रति सप्ताह काम के घंटे भी तय करेगी। इसके अलावा यदि कामगार कहीं से कार्य करना छोड़ देता है या हटाया जाता है तो दो दिनों के अंदर उसे मजदूरी भुगतान करना होगा।

वेतन संहिता उन संस्थानों में लागू की जायेगी, जहां कोई उद्योग, व्यापार, कारोबार, मैन्यूफैक्चरिंग या व्यवसाय चलाया जाता है। इसमें सरकारी संस्थायें भी शामिल होंगी। संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिसूचित करेगी जो कि समय, या उत्पादित उत्पादन की इकाईयों की संख्या इत्यादि पर आधारित होगी। विभिन्न राज्यों या भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न न्यूनतम वेतन निर्धारित कीया जायेगा। संहिता के अंतर्गत वेतन में कटौती निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में की जा सकती है: 1. जुर्माना, 2. ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, 3. नियोक्ता द्वारा आवास उपलब्ध कराना, या 4. कर्मचारी को दिए गए एडवॉंस की रिकवरी, इत्यादी। ये कटौतियां कर्मचारी के कुल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। संहिता में बोनस का भुगतान और निर्धारण के प्रावधान भी रखे गये हैं।

सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की श्रम संहिता के प्रारूप को, मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के श्रम कानूनों को एकीकृत करके, तैयार किया गया है जो कि इस वर्ष के मार्च महीने में मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अंग्रेजी में अपलोड किया था जिस पर सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित की गयी थी। केन्द्र सरकार ने भारत के मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े सभी 15 कानूनों—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, अभ्रक खान श्रम कल्याणकारी निधि अधिनियम, 1946, बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976, बीड़ी श्रमिक कल्याणकारी निधि अधिनियम, 1976, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याणकारी निधि अधिनियम, 1972, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, इत्यादि, को मिला कर एक श्रम संहिता बनाने का फैसला किया है।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय की मानें तो श्रमिकों के भत्ते, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्य के हालात के संबंध में चार क्षेत्रों में चार संहिताएं बनाने का फैसला इसलिए लिया है ताकि कर्मचारियों की कार्यक्षेत्र में सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में इजाफा हो। परन्तु इन श्रम संहिताओं के प्रारूप जटिल, अस्पष्ट और श्रम अधिकारों को कमजोर करने वाले लगते हैं। खासकर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की श्रम संहिता के प्रारूप को पढ़कर ऐसा लगता है कि सरकार कानूनों को लचीला, सरल और समावेशी बनाने की आड़ में मजदूर हितों से खिलवाड़ करने जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण श्रम संहिता के मौजूदा प्रारूप के तहत 166 धाराएं बनाई गई हैं जो 22 खंडों और छः अनुसूचियों में बंटी हैं। कर्मचारी पंजीकरण से लेकर, नियंत्रण और दंड के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। इस संहिता में लाभों के पात्र वे मजदूर ही बन सकते हैं जिन्होंने विश्वकर्मा कार्मिक सुरक्षा खाता (विकास) में आधार संख्या के साथ रजिस्ट्रेशन किया हो, रजिस्टर्ड कामगारों द्वारा अपने रोजगार व आय ब्योरे के साथ चालान भरा गया हो, तथा संहिता में निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने विकास खाते में अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से जमा करवाते हों।

इस संहिता के मौजूदा प्रारूप के अंतर्गत, संगठित व असंगठित, सभी प्रकार के मजदूरों को लाभार्थी बनाया जायेगा परन्तु इन दो बेहद भिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्रों में एक समान सुविधाएं पाने के लिए एक समान मानदंडों पर अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। उदाहरण के लिये, दोनों ही वर्गों के मजदूरों को अपने नियोक्ता व आय का विस्तृत ब्योरा सरकार के समक्ष जमा करवाना होगा और ऐसा ना कर पाने की स्थिति में वे ना सिर्फ सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों से वंचित हो सकते हैं बल्कि उन पर दंडनीय कार्यवाही भी की जा सकती है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 70 करोड़ कामगार हैं जिनमें से 92 फीसदी कर्मचारी, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। जाहिर है प्रस्तावित संहिता को इस बड़ी मजदूर आबादी पर विशेष ध्यान देना होगा।

इस संहिता के मौजूदा प्रारूप के अनुसार केंद्र सरकार के लिये कोई बाध्यता नहीं है कि वह मजदूरों को, सामाजिक सुरक्षा के कुछ मूलभूत हक जैसे वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व लाभ एवं जीवन व दुर्घटना बीमा, अनिवार्य रूप से मुहैया करवाये। यह पूरी तरह केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद् पर निर्भर करता है कि वह कब, किस आधार पर, किन योजनाओं द्वारा किसको, कहाँ, किस तरह का सामाजिक सुरक्षा लाभ देती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा के लिए जो राष्ट्रीय परिषद् प्रस्तावित की गई है उसके 21 सदस्यों में से मजदूरों के सिर्फ तीन प्रतिनिधि होंगे और वे भी सरकार से नामांकित होंगे।

प्रारूप के अनुसार ट्रेड यूनियनों की भूमिका एक तरह से समाप्त की जा रही है क्योंकि यह कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच कानून के लिहाज से एक ऐसी पारदर्शिता और बाध्यता विकसित करने का दावा करती है जिसमें किसी दबाव समूह की बहुत जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन नियोक्ता अपना दायित्व नैतिक और कानूनी तरीके से निभा रहा है या नहीं, यह कौन और कैसे तय करेगा, इस

शेष पृष्ठ 4 पर....

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

1 जुलाई 2017 से लागू

1 जुलाई 2017 को पूर देश में (जम्मू काश्मीर को छोड़कर) वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू कर दिया गया है जिसके बाद भारत विश्व में जीएसटी लागू करने वाला 16वां देश बन गया है। गौरतलब है कि देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली स्थापित करने की कयावद विगत 17 वर्षों से चल रही थी एवं इसके लिये गत वर्ष अगस्त माह में केन्द्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन विधेयक पास किया गया था। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में एक समान कर व्यवस्था स्थापित करना एवं अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल बनाना है। यह कर प्रणाली देश में पूर्व स्थापित कर प्रणाली, आर्थिक विकास एवं वृद्धि, महंगाई, सरकारों के राजस्व ढांचे एवं राज्यों की कर आय, विभिन्न क्षेत्रों एवं आम आदमी को अनेक प्रकार से प्रभावित करेगी। जीएसटी को पूर्व की कर प्रणाली के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाये जा रहे करीब 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों एवं 23 प्रकार के सेस की जगह प्रस्थापित किया गया है।

जीएसटी के अंतर्गत करों की दर की बात की जाये तो इसमें विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु कर की चार दरें—5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। अभी इसमें बिजली शुल्क, स्टॉप शुल्क, शराब तथा पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन बाद में इनको भी दायरे में लाया जायेगा। छुट वाली वस्तुओं या सालाना 20 लाख रु. से कम कारोबार करने वाले जो अंतर्राज्यीय व्यापार नहीं करते, उनको जीएसटी के लिये रिटर्न दाखिल करने से छुट दी गयी है। जीएसटी संबंधी मुख्य बिंदु निम्न हैं:

जीएसटी के मुख्य बिंदु :

- जीएसटी को देश में केन्द्र एवं राज्यों में मौजूदा बहुत से अलग—अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की जगह एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में स्थापित किया गया है। इस प्रकार जीएसटी एक मुल्य संवर्द्धित एवं अंतिम उपभोग आधारित कर प्रणाली है।
- जीएसटी के मुख्य रूप से तीन अंग हैं जिनमें (1.) सीजीएसटी— जो केन्द्र सरकार द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जायेगा। (2.) एसजीएसटी— जो राज्य सरकारों द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जायेगा। (3.) आईजीएसटी— जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय परिवहन एवं संचार पर केन्द्र सरकार वसूल कर आय को संबंधित राज्यों के बीच वितरित करेगी।
- केन्द्रीय—जीएसटी एवं इंटिग्रेटेड—जीएसटी संबंधी कानून केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये हैं जबकि स्टेट—जीएसटी संबंधी कानून राज्य सरकारों द्वारा बनाये जायेंगे।
- जीएसटी के क्रियांवयन एवं इसको सफल बनाने के लिये केन्द्र एवं राज्यों के प्रतिनिधियों की एक “जीएसटी काउंसिल” है जो कर की दर निर्धारित करने के साथ ही केन्द्र एवं राज्यों के बीच कोई विवाद होने एवं अन्य मुद्दों पर निर्णय करेगी।

जीएसटी के अंतर्गत कर की दरें : जैसा कि उपर उल्लेख किया जा चुका है कि जीएसटी के अंतर्गत चार प्रकार की कर दरें क्रमशः 5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। हालांकि खुली वस्तुओं व चीजों जैसे— अनाज, सब्जियों, फल, खुला आटा, बेसन, नमक, अंडे तथा किताबें आदि पर जीएसटी दर 0 प्रतिशत है। जबकि चीनी, चाय, कॉफी, खाद्यान्न तेल, पीडीएस केरोसिन, एलपीजी, कपड़े (1000 रु. तक), जूते (500 रु. तक) आदि वस्तुओं पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत रखी गयी है। जबकि मक्खन, घी, मोबाइल आदि पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत रखी गयी है। वहीं इंश्योरेंस, बैंकिंग, कपड़े (1000 रु. से अधिक), कोचिंग, कम्प्युटर, सिनेमा, क्रेडिट कार्ड, दूर एवं ट्रेवल्स आदि पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत है। जबकि छोटी कारों, दो पहिया वाहन आदि पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत है।

जीएसटी के संभावित प्रभाव : जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि जीएसटी द्वारा पूर्व की कर प्रणाली में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाये जा रहे करीब 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली गयी है। जीएसटी के लागू होने के बाद आर्थिक विकास एवं वृद्धि, महंगाई, सरकारों के राजस्व ढांचे एवं राज्यों की कर आय, विभिन्न क्षेत्रों एवं आम आदमी पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं।

जीएसटी के क्रियावंयन की मुश्किलें : जीएसटी का क्रियावंयन भी, इसके लिये सिस्टम की आधी अधुरी तैयारी, इस व्यवस्था में संलग्न कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव, गांवों एवं दूर—दराज के क्षेत्रों के कारोबारियों में जानकारी एवं जागरुकता का अभाव आदि कारणों से काफी मुश्किल हो रहा है। जानकारों के अनुसार जीएसटी के लिये बैंक इंड साफ्टवेयर भी नहीं बन पाया है जबकि इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन है तो कैसे क्रियांवयन होगा। इसके अलावा इस व्यवस्था में संलग्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण भी नहीं हो पाया है। वहीं छोटे शहरों, कस्बों एवं गांवों तथा दूर—दराज के क्षेत्रों में न तो प्रशिक्षण हुआ है औन ना ही कम्प्युटर एवं इंटनेट आदि की समुचित व्यवस्था है।

जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाईल संबंधी मुश्किलें : रिटर्न फाईल वह दस्तावेज है जिस करदाता को कर प्राधिकरण को जमा करवाना होता है। जीएसटी के अंतर्गत व्यापारियों/कारोबारियों को वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीद एवं बेचान का इसके नियमों के अनुसार हर माह तीन प्रकार के मासिक रिटर्न जमा करवाने होंगे। इसके अलावा एक वार्षिक रिटर्न फाईल विवरण जमा करवाना होगा। इस प्रकार जीएसटी हेतु कारोबारियों को एक साल में एक वार्षिक रिटर्न के अलावा कुल करीब 36 मासिक रिटर्न फाईलें जमा करवानी होंगी। अतः व्यापारी एवं कारोबारी बार—बार एवं पहले की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न फाईल जमा करवाने को लेकर चिंतित एवं परेशान हैं। इनको बार—बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर लगाने होंगे। अतः कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था उद्यमियों (विशेषरूप से छोटे व्यापारियों एवं कारोबारियों) के लिये काफी जटिल एवं परेशान करने वाली होगी, जबकि सरकार जीएसटी को एक अच्छी एवं सरल (Good& Simple) कर प्रणाली बता रही है।

आर्थिक विकास एवं महंगाई : सरकार का कहना है कि जीएसटी के बाद आर्थिक वृद्धि दर में तेजी

शेष पृष्ठ 3 पर....

नीति आयोग का तीन वर्षीय कार्य योजना मसौदा : (2017–18 से 2019–20)

मध्यावधि राजस्व तथा व्यय ढांचा, कृषि सुधार व सामाजिक क्षेत्र का अवलोकन

भारत में केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा वर्ष 2014 में योजना आयोग को भंग करते हुए नीति आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था को 31 मार्च 2017 को समाप्त कर दिया गया। देश व जनता के सर्वांगीण विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा तीन साल का कार्य योजना का मसौदा तैयार किया गया है। इसके अलावा 15 वर्ष की संकल्पना और 7 साल की रणनीति भी तैयार की जा रही है जो देश की योजनाओं के रुप में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह लेंगे। नीति आयोग के तीन वर्षीय कार्य योजना मसौदे में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सुधार हेतु कई सुझाव प्रस्तुत किये हैं और विश्वास जताया जा रहा है कि इसके परिणामस्वरुप देश 8 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर की राह पर लौट आएगा। इस कार्य योजना मसौदे को सात भागों में विभाजित किया गया है जिसमें मध्यावधि राजस्व तथा व्यय ढांचा, प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधार, क्षेत्रीय विकास, विकास सहयोगी क्षेत्र, प्रशासन, सामाजिक क्षेत्र व निरंतरता शामिल है। इस आलेख में हम ने मध्यावधि राजस्व तथा व्यय ढांचे, सामाजिक क्षेत्र तथा प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में सुधार हेतु इस कार्य योजना के महत्वपूर्ण सुझावों का अवलोकन किया है।

मध्यावधि राजस्व तथा व्यय ढांचा : कार्य योजना मसौदे में विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले आवंटन पर भी सुझाव दिया है साथ ही मध्यावधि व्यय ढांचा ठीक से लागू करने पर जोर दिया है, और बताया गया है कि सरकारें राजस्व व पूंजीगत प्राप्ति का पूर्वानुमान लगायें। इसके अलावा आगामी तीन वर्षों में व्यय को लेकर सुझाव दिए हैं। मसौदे में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को कम करने पर भी बहुत जोर दिया गया है, वर्ष 2019–20 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3 प्रतिशत तथा राजस्व घाटे को 0.9% करने का लक्ष्य रखा गया है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीडीपी के सापेक्ष कुल बजट व्यय में कटौती की जाएगी।

कुल बजट व्यय में राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का प्रतिशत					
विवरण	2014-15 (RE)	2015-16(BE)	2017-18	2018-19	2019-20
गैर–विकास राजस्व व्यय	44.4	46.5	46.5	44.8	41.4
राजस्व विकास व्यय	40.6	35.4	34.6	34.6	34.1
राज्यों के लिए वैधानिक अनुदान	3.9	5.0	4.7	4.6	4.8
कुल राजस्व व्यय	88.9	86.9	85.8	84.0	80.3
गैर–विकास पूंजीगत व्यय	5.7	5.9	4.8	6.1	6.9
पूंजीगत विकास व्यय	5.4	7.2	9.4	10.0	12.8
कुल पूंजी व्यय	11.1	13.1	14.2	16.0	19.7

स्रोत : तीन वर्षीय कार्य योजना एजेंडा (2017–18 से 2019–20), नीति आयोग, 2017

भारत में जीडीपी के सापेक्ष कुल बजट आवंटन 2014–15 में 13.4% रहा जिसको 2019–20 में 12.9% करने का सुझाव है। राजस्व व्यय वर्ष 2014–15 में सकल घरेलू उत्पाद का 11.9% रहा जिसको वर्ष 2019–20 तक 10.4% करने का सुझाव है तथा पूंजीगत व्यय को 2019–20 में बढ़ाते हुए जीडीपी का 2.6% करने का सुझाव है जो कि 2014–15 के बजट अनुमान में 1.5% था। राजस्व व्यय के अंतर्गत आने वाले राजस्व विकास व्यय में कटौती का सुझाव है, यह 2014–15 के बजट अनुमान में कुल राजस्व व्यय का 45.7% था जिसको 42.5% करने तथा गैर राजस्व विकास व्यय को कुल राजस्व व्यय का 51.6% करने का सुझाव है जो कि 2014–15 में 49.9% था, जबकि राजस्व विकास व्यय में जनहित से जुड़े क्षेत्र आते हैं फलतः इस कटौती का सीधा प्रभाव आम–जनता के उपर पड़ेगा। कुल मिलाकर मसौदे में मध्यावधि व्यय ढांचे का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे व राजस्व घाटे में कमी करना है।

प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में सुधार:

कृषि कैसे बेहतर हो एवं यह किसानों को ज्यादा आय प्रदान करे, इस बारे में भी कार्य योजना मसौदे में सुझाव दिए गये हैं। वर्ष 2022 तक किसान की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह एजेंडा कृषि सुधार के लिए एक कार्यक्रम की रुपरेखा सुझाता है जिसके अंतर्गत जमीन की उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य, खेती करने की अक्षमता पर किसानों की जमीन का प्रयोग तथा किसान को मिलने वाली विभिन्न सहायता के क्रियान्वयन में सुधार आदि शामिल हैं। कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए मसौदे में आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करने को कहा गया है कि निर्यातक, खाद्य वस्तुएं बनाने वाले, आउटलेट, खुदरा विक्रेताओं और बड़े डिपार्टमेंटल रिटेलर्स को स्टोक लिमिट की शर्तों से मुक्त किया जाये। किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके, इसके लिए मसौदे में बाजार में सुधार के साथ यह कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम (APMC Act) में सुधार करने पर जोर देता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के कृषि में आने वाली बाधाओं को दूर करने का सुझाव भी देता है।

सहकारी व संविदा कृषि को बढ़ावा देने के लिए अलग से कानून लाया जाए जिसके अंदर खरीददार किसानों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण आदान तथा दूसरी सहायता मुहैया की जा सके। किसानों की अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ–साथ बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन, सुअर पालन तथा मछली पालन पर भी ध्यान दिए जाने पर बल दिया गया है।

गौरतलब है कि देश में जोतों का आकार लगातार कम होता जा रहा है जिससे केवल खेती पर निर्भर रहकर अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है, फलतः किसान वैकल्पिक आय के स्रोत खोज रहे हैं। ऐसे में यदि ये किसान खेती बंद करके अपनी जमीन दूसरों को पट्टे या किराये पर देना चाहें तो जमीन संबंधी कानूनों की वजह से अपनी जमीन पट्टे या किराये पर देने से घबराते हैं और कई बार वे जमीन को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, ऐसे में जमीन–पट्टे के कानून में सुधार, जमीन पट्टे पर लेने वालों तथा किसानों के अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है।

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया जाये जिनमें सिंचाई, बीज, खाद और तकनीक तथा उच्च मूल्य आधारित फसलों का उत्पादन प्रमुख है। सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए मसौदे में प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पूर्ण रुप से समर्पित एजेंसी की जरूरत का सुझाव दिया है।

सामाजिक क्षेत्र हेतु सुझाव:

नीति आयोग ने सामाजिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मसौदे में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, बच्चों, दलितों, आदिवासियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

शिक्षा : कार्य योजना एजेंडा यह मानता है कि आज के दौर में शिक्षा क्षेत्र में लर्निंग आउटकम (सीखने का स्तर एवं गुणवत्ता) को सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है एवं इसको बढ़ाने के लिए अगले तीन साल में विशेष प्रयास किये जाएं। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सुधार की बेहद जरूरत है एवं इसके लागू होने के बाद से ही लर्निंग आउटकम लगातार नीचे गिर रहा है। अतः जरूरत है कि राईट टू स्कूल की जगह राईट टू लर्निंग इसका उद्देश्य होना चाहिए। मसौदे में इसके

लिए सुझाव है कि राज्य सरकारें ढांचागत मानकों में सुधार की जगह लर्निंग आउटकम में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करे।

निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए मसौदा सुझाव देता है कि राज्य सरकारें निजी स्कूलों के नियंत्रण के मामले में मानकों के क्रियान्वयन जैसे– पुस्तकालय, फीस और अन्य ढांचागत मानकों पर नियंत्रण न करे, केवल लर्निंग आउटकम तथा पारदर्शिता पर नियंत्रण करे। पीपीपी मॉडल के माध्यम से ऐसे प्रयास किये जाने को कहा गया है जिसमें कि सरकारी विद्यालयों का निजीकरण किया जा सके। अतः कार्य योजना एजेंडे का जोर शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देने की ओर है।

इसके अलावा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए मसौदा पांच स्तरों पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दे रहा है जिनमें देश में वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, उच्च कोटि के विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करना, उच्च शिक्षा में नियंत्रण हेतु प्रशासनिक ढांचे में सुधार, अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा वोकेशनल व प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करना है। उच्च शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए यूजीसी में बदलाव के साथ ही उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाने का सुझाव देता है जिसमें प्रथम स्तर में उच्च कोटि की अनुसंधान के लिए केन्द्रित विश्वविद्याल हों। द्वितीय स्तर की प्रणाली में रोजगार आधारित शिक्षा वाले विश्वविद्यालय तथा तृतीय स्तर पर उन सभी विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाये जिनका उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा देना हो। मसौदा वोकेशनल तथा प्रोफेशनल से सम्बंधित विषयों को उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू करने की पैरवी करता है।

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए। इस क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का गुणवत्तापूर्ण वितरण आदि चुनौतियों का समाधान निकाला जाए तथा स्वस्थ रहने के सुरक्षात्मक उपाय के विभिन्न मानकों जैसे कि पोषण, पेयजल और स्वच्छता को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाये। संक्रामक तथा गैर संक्रामक रोगों के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु इनके बेहतर क्रियांवयन के लिए मसौदे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

स्वास्थ्य पर बजट आवंटन में बढ़ोतरी के साथ राज्यों में योग्य व प्रेरित मानव संसाधन की स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी को दूर करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर अगले तीन वर्षों में समर्पित स्वास्थ्य कैंडरों को तैयार करे। रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रोग बढ़ाने वाले कारकों जैसे– धूम्रपान, उच्च रक्तचाप तथा स्वच्छता आदि पर आने वाले तीन वर्षों में लक्ष्य निर्धारित कर बेहतर परिणाम लाये जाएं। रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में परम्परागत ओषधियों को सम्मिलित किया जाये। जनसाधारण तक बेहतर दवाइयों की उपलब्धता और बेहतर फार्मा उद्योग के विकास को ध्यान में रख कर नियम बनाये जायें। जन औषधि स्टोर की प्रक्रिया काफी सुस्त है इसलिए सभी तक सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की पहुँच बढ़ाने के लिए 2017 के अंत तक ऑनलाइन ई–फार्मसी बनाये जाने का सुझाव है।

वंचित वर्गों हेतु सुझाव : अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए मसौदे में महिलाओं, बच्चों, युवाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेषयोग्यजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए नीतिगत सुझाव दिए गये हैं।

महिलाएं — मसौदे में अगले तीन वर्षों में महिलाओं की अर्थव्यवस्था में समान रूप से हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की बात की गयी है। आर्थिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को रोजगार और वित्तीय संसाधनों के समान अवसर मुहैया कराये जाएं। महिलाओं को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को वित्तीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाये तथा वित्तीय सेवाओं के प्रयोग पर अतिरिक्त प्रलोभन दिया जाये। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक राज्य महिला हेल्पलाइन शुरू करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाये तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से संबधित जानकारी प्रदान की जाए। अगले तीन वर्षों में देश में महिलाओं की स्थिति व अन्य जेंडर मानकों को लेकर एक सूचकांक तैयार किया जाये।

बच्चे — आगामी तीन सालों के दौरान, बच्चों से संबंधित डेटा सिस्टम को मजबूत करने, बच्चों से संबंधित मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुधारने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी पूर्णतया डिजिटलाइज करने की बात की गयी है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नकद हस्तांतरण की योजनाओं को बड़े स्तर पर लागू किये जाने के साथ ड्राप–आउट को कम करने के लिए माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में शौचालयों तथा मासिक–धर्म संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की बात की गयी है। बच्चों की सुरक्षा हेतु अगले तीन वर्षों में राज्यों के बाल संरक्षण व अधिकार आयोग पूरी तरह सक्रीय किये जाने तथा इनमें सभी रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर जोर देने की बात की गयी है।

अल्पसंख्यक — मसौदे में अगले तीन वर्षों में अल्पसंख्यकों के लिए मौजूदा योजनाओं को क्रियान्वित करने और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए मजबूत कदम उठाए जाने की बात कही है। इसके अलावा 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं द्वारा अल्पसंख्यक वर्चस्व वाले इलाकों में विकास के अंतराल को पहचान कर योजनाओं के व्यवस्थित क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों में उच्च शिक्षा की बेहतर पहुँच के लिए जिलों में मोडल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ–साथ महिलाओं के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में समस्त सुविधाओं युक्त महिला छात्रावासों का निर्माण करने का जि़क्र किया गया है। महिलाओं के लिए संचालित नई रौशनी नाम से नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम को अल्पसंख्यक बहुलता वाले सभी जिलों में संचालित किये जाने का सुझाव दिया गया है।

दलित व आदिवासी — दलितों तथा आदिवासियों हेतु मसौदे में बताया है कि शिक्षा की बेहतर पहुँच से काफी हद तक इनका सशक्तिकरण हो सकता है, इसके लिए दलित तथा आदिवासी बहुल ब्लॉक्स में आवासीय स्कूलों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों की समुचित व्यवस्था करने तथा आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का विस्तार किये जाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय फेलोशिप की संख्या को बढ़ाकर 3370 प्रति वर्ष करने, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने तथा इन तीन वर्षों में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सभी ब्लॉक में आई.टी.आई. एवं पोलिटेक्निक की स्थापना किये जाने पर जोर दिया गया है। साथ ही सुझाव है कि छात्रवृति योजना में सुधार किया जाए और मिलने वाली राशि को महंगाई से जोड़ा जाए।

आर्थिक विकास के लिए मसौदे ने सुझाव दिया है कि दलितों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय विकास कॉरपोरेशन एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास कारपोरेशन द्वारा तथा आदिवासियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास कॉरपोरेशन द्वारा सस्ते लोन तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि वे अपने उपक्रम स्थापित कर सकें। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के क्रियांवयन को सुदृढ़ करने और 1996 के अनुसूचीत क्षेत्र अधिनियम (पेसा) के लिए पंचायतों का विस्तार किये जाने की बात की गयी है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के लिए निर्धारित आवंटन सुनिश्चित करने के अलावा, जरूरतों के आधार पर नियोजन के साथ ही परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने पर जोर दिये जाने की बात की गयी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति : लक्ष्य और वर्तमान स्थिति

“राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति” केन्द्र सरकार द्वारा मार्च 2017 में अनुमोदित की गयी जो केन्द्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) के स्थान पर स्थापित की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह नीति वर्तमान सामाजिक—आर्थिक, तकनीकी और महामारी संबंधी परिदृश्यों से उत्पन्न मौजूदा और उभरती चुनौतियों का समाधान करने की भी कोशिश करेगी। इस नीति का जोर स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना, निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, सामाजिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को मजबूत करना, प्राथमिक एवं द्वितीय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे व मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, बच्चों व किशोरों एवं किशोरियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करना इत्यादी है। यह नीति सभी सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क जांच, निःशुल्क निदान और निःशुल्क आपातकालीन एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत करती है जिससे सभी लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ सके और लोगों को स्वास्थ्य पर होने वाले आकस्मिक व्यय से वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं जिन्हें एक निश्चित समयावधि तक पूर्ण करने पर जोर दिया जायेगा। ये लक्ष्य कुछ इस प्रकार हैं:

- वर्ष 2025 तक यह निर्धारित करना कि 90 प्रतिशत से अधिक प्रसवों के दौरान एक कुशल स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित हो। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण—4 के अनुसार वर्तमान में देश में तकरीबन 78.9 प्रतिशत संस्थागत जन्म व 4.3 प्रतिशत जन्म घर पर कुशल स्वास्थ्य कर्मी की निगरानी के अंतर्गत होते हैं। इन आंकड़ो को अगर राजस्थान में देखा जाये तो वह क्रमशः 84 प्रतिशत व 3.2 प्रतिशत हैं, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। अगर हम राजस्थान की जिलेवार स्थिति को देखें तो संस्थागत जन्म एवं घर पर जन्म के दौरान कुशल स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति के मामले में बारां सबसे आगे है जहां 97 प्रतिशत जन्म संस्थागत होते हैं व 0 प्रतिशत जन्म घर पर होते हैं। दूसरी ओर जैसलमेर सबसे नीचले पायेदान पर है जहां केवल 49.8 प्रतिशत जन्म संस्थागत होते हैं और 12.7 प्रतिशत जन्म घर पर कुशल स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति में होते हैं।
- वर्ष 2025 तक 90 प्रतिशत से ज्यादा नवजात शिशु एक वर्ष की उम्र तक पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित होने चाहिये।
- वर्ष 2025 तक परिवार नियोजन की जरूरतों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर 90 प्रतिशत से अधिक तक पूरा करना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण—4 के अनुसार वर्तमान में देश में तकरीबन 12.9 प्रतिशत लोगों की परिवार नियोजन की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है तथा यही आँकड़ा राजस्थान में 12.3 प्रतिशत है। राजस्थान की जिलेवार स्थिति देखें तो कोटा जिले में केवल 7.1 प्रतिशत लोगों की पारिवारिक नियोजन की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी ओर भरतपुर जिले में यह प्रतिशत बढ़कर 18.1 हो जाता है।
- वर्ष 2025 तक लोगों को सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं के लाभों से परिचित करवाना व उनकी उपयोगिता को 50 प्रतिशत से बढ़ाने की कोशिश करना।

इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत कुछ स्वास्थ्य सूचकों को लेकर लक्ष्य निर्धारित कर उनको प्राप्त करने की समयावधि निर्धारित की गयी है जो निम्न तालिका में देखा जा सकता है:

तालिका: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत स्वास्थ्य सूचक, उनके निर्धारित लक्ष्य व वर्तमान स्थिति

क्र. स.	स्वास्थ्य सूचक	लक्षित वर्ष	लक्ष्य	वर्तमान स्थिति	
				भारत	राजस्थान
1	जीवन प्रत्याशा	2025	70	67.5	67.9
2	कुल प्रजनन दर (TFR)— कुल प्रजनन दर एक महिला के जीवन/प्रजनन काल में पैदा हुये या होने वाले बच्चों की संख्या है।	2025	2.1	2.2	2.4
3	शिशु मृत्यु दर (IMR)— शिशु मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति हजार जीवित जन्मों पर नवजात मौतों की संख्या है।	2019	28	41	41
4	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर	2025	23	50	51
5	मातृ मृत्यु दर (MMR) — मातृ मृत्यु दर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन (आकस्मिक या आकस्मिक कारणों को छोड़कर) से संबंधित किसी भी कारण से प्रति 100,000 जीवित जन्मों की वार्षिक मृत्यु दर है।	2020	100	167"	244"
6	प्रसवपूर्व देखभाल — जिसमें समय—समय पर डॉक्टरी जाँच, अल्ट्रासाउंड, माँ के लिए दवाइयों एवं पूर्ण आहार आदि शामिल होते हैं	2025	90 प्रतिशत तक या उससे अधिक बढ़ाना व बनाये रखना	21	9.7
7	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन का प्रसार	2025	वर्तमान स्थिति से 40 प्रतिशत कम करना (15.3 प्रतिशत देश में व 15.6 प्रतिशत राजस्थान में)	38.4	39.1

स्रोत: (1.) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण—4; (2.) “— नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS), 2011—13

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक सुझाव भी दिए गए हैं जिनके कुछ मुख्य बिन्दुओं का विवरण नीचे दिया गया है।

- सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर खर्च को देखते हुए, यह नीति सरकार के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की बात भी करती है। वर्तमान में भारत के जीडीपी की करीब 1.15 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होती है जिसे बढ़ा कर 2025

तक 2.5 प्रतिशत तक करने की बात की गयी है। राजस्थान में देखें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) का मात्र 1.14 प्रतिशत ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है।

- वर्ष 2020 तक राज्य सरकारें अपने कुल बजट का 8 प्रतिशत से ज्यादा व्यय स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर आवंटित करेंगी।
- यह नीति स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे व मानव संसाधनों को भी ध्यान में रखते हुए कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। यह नीति भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार डॉक्टरों, स्वास्थ्य सहयोगियों की संख्या वर्ष 2025 तक व स्वास्थ्य स्वयं—सेवक (जनसंख्या के अनुपात के अनुसार) की संख्या 2020 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में पूर्ण करने की बात करती है। साथ ही यह नीति प्राथमिक व द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को 2025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में पूर्ण करने की बात भी करती हैं। राजस्थान में 10 उच्च प्राथमिकता वाले जिले निर्धारित किये गए हैं जिनमें उदयपुर, राजसमंद, झुंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली और धोलपुर सम्मिलित हैं।
- इस नीति के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की ओर आकर्षित कर देश में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने का प्रयास करने की कोशिश कर रही है। यह नीति राष्ट्रीय व राज्य सरकार एवं ग्राम पंचायत स्तर तक की भूमिका को स्पष्ट रूप से आगे रखती है और उन्हें नियोजन व निगरानी बनाये रखने पर जोर देती है। इसके अलावा यह नीति दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को आकर्षित करने व बनाये रखने, चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने, स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक चिकित्सा स्टाफ बनाये रखने, स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर संसाधनों का दो तिहाई हिस्सा आवंटित करने आदि की बात भी करती है।
- यह नीति कई जगहों पर निजी क्षेत्र से स्वास्थ्य सेवाओं, दवा वितरण अदि में सहयोग लेने व उसमें लोगों की पहुँच बढ़ाने की बात भी करती है। परन्तु अपनी जिम्मेदारियों को निजी हाथों में सौंप देना और यह उम्मीद करना कि इससे ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, ठीक नहीं है। अगर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए निजी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तो सरकार को बारीकी से उनकी निगरानी की समुचित व्यवस्था हेतु भी प्रावधान करने चाहिये।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 स्वास्थ्य सुविधाओं एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की दिशा में एक बहुत अच्छा व महत्वपूर्ण कदम है, जिसे स्वास्थ्य की ओर निवेश बढ़ाकर पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा सकता है। परन्तु कुछ लक्ष्यों को दिए गए समय में पूर्ण कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। उदाहरण के लिए, यह नीति लक्ष्य करती है कि 2025 तक 90 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल का लाभ मिले परन्तु वर्तमन स्थिति यह है कि केवल 21 प्रतिशत महिलाओं को ही पूर्ण रूप से यह लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर जिसको 2025 तक 100 तक लाने की बात इस नीति में की गयी है वह वर्तमान में राजस्थान में 244 है। इन लक्ष्यों को देख कर यह कहा जा सकता है कि सरकार को इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये गहन प्रयास करने पड़ेंगे।

पृष्ठ 1 का शेष देश में वस्तु एवं सेवा कर....

आयेगी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी सकात्मक प्रभाव पड़ेंगे। आर्थिक क्षमता का स्तर भी सुधरेगा एवं व्यापार आसान होगा। लेकिन विश्व के अन्य देशों को देखें तो 1991 से 2000 के बीच में जिन 5 बड़े देशों (जापान, कनाडा, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया एवं मलेशिया) ने जीएसटी अपनाया उनकी विकास दर 1 से 3 प्रतिशत तक गिर गयी। जिसका प्रमुख कारण “कर पर कर” व्यवस्था समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप कच्चे माल एवं माल ढुलाई में कारोबारियों को मिलने वाला मुनाफा आम लोगों को नहीं मिल सका। भारत में भी इसे बड़ी चुनौती की रुप में माना जा रहा है, हालांकि मुनाफाख़ौरी से निपटने के लिये सरकार द्वारा कानून बनाया गया है। मुनाफाख़ौरी से तात्पर्य, माना किसी वस्तु या सेवा पर पहले सभी प्रकार के कर व उपकर मिलाकर कुल कर 22 प्रतिशत होता था जबकि जीएसटी लागू होने के बाद उस पर कुल 12 प्रतिशत ही जीएसटी लगता है तो ऐसे में दुकानदार द्वारा 12 प्रतिशत का फायदा ग्राहक को नहीं दिया जाना मुनाफाखोरी है। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा बेहतर करने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप निवेश की संभावनाएं कम रहने के कारण क्षेत्रिय विषमताएं भी बढ़ने की संभावना हैं।

अन्य क्षेत्रों एवं गतिविधियों पर प्रभाव : जीएसटी लागू होने के बाद देश में ऐसी गतिविधियां एवं छोटे उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं जिनमें कमजोर तबके के लोग शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप इनकी आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। गौरतलब है कि कारोबारी एवं छोटे उद्यमी बहुत पहले से ही जीएसटी अपनाये जाने का विरोध कर रहे हैं एवं सरकार द्वारा इसको आनन—फानन में लागू करने से परेशान हो रहे हैं। हालांकि इनका विरोध भी गलत नहीं है एवं जीएसटी लागू होने के कुछ ही दिनों में ही इनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले अधिकतर कारोबारी एवं छोटे उद्यमी कम्प्युटर के बजाय कागजी काम एवं हिसाब—किताब के आदि थे लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें कम्प्युटरीकृत व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा।

तेंदु पत्ता एवं लघु वन उपज संग्रहण पर प्रभाव : जीएसटी लागू होने के बाद तेंदु पत्ता एवं लघु वन उपज संग्रहण करने वाले आदिवासी एवं अन्य संग्रहकर्ता भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं तेंदु पत्ता की अगर बात करे तो इस पर वेट लगाया जाता था। विभिन्न राज्यों में उनकी वेट दरों के हिसाब से 5 से 7 प्रतिशत तक वेट रहता था। ओडिशा जैसे राज्य में यह करीब 7 प्रतिशत रहता था जबकि राजस्थान में यह करीब 5.5 प्रतिशत रहता था। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद यह बहुत अधिक बढ़कर करीब 18 प्रतिशत हो गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य कोपरेशन से तेंदुपत्ता संगहण का ठेका लेने वाले ठेकेदार तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले आदिवासियों/संग्रहकर्ताओं को इनके संग्रहण हेतु बहुत ही कम कीमत देंगें। अतः जीएसटी के बाद तेंदुपत्ता संगहण की प्रक्रिया में बेचान पर मुनाफा कम होने से जमीनी स्तर पर तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य करने वाले आदिवासियों एवं अन्य लोगों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

जबकि वन अधिकार कानून के अनुसार तेंदुपत्ता संग्रहण एवं बेचान संबंधी गतिविधियां सभी प्रकार के सरकारी करों से मुक्त होनी चाहिये। इसके अलावा ग्राम सभा ही इसके संग्रहण एवं बेचान का अधिकारिक निकाय/संगठन है। जबकि आय कर अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को करारोपण का अधिकार नहीं है। अतः तेंदुपत्ता के संग्रहण बेचान एवं इस पर करारोपण संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के साथ ही इस पर जीएसटी दर को औचित्यपूर्ण रखा जाना चाहिये।

हैंडलूम उद्योग पर प्रभाव : जीएसटी लागू होने के बाद हैंडलूम उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। देश में इस उद्योग में बहुत से लोग आजीविका के लिये निर्भर हैं एवं जीएसटी आने के बाद इस पर निर्भर लोगों की आजीविका प्रभावित होना लाजमी है। रोजगार के लिहाज से देखा जाये तो यह क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा बड़ा रोजगार संभावना वाला क्षेत्र है। जानकारों के अनुसार सरकार द्वारा हैंडलूम उत्पादों पर जीएसटी लगाये जाने के फलस्वरूप यह क्षेत्र समाप्त हो सकता है। बुनकर, झुलाहा एवं इस क्षेत्र में जुड़े समुदायों की यह मांग है कि इस क्षेत्र में कच्चे माल जैसे— जरी, अजी, डाई आदि को 0 प्रतिशत जीएसटी सूची मे रखना चाहिये।

उपरोक्त विवरण के आधार पर स्पष्ट है कि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई, छोटे कारोबारी एवं उद्यमि, आम आदमी के साथ ऐसे क्षेत्रों जिनमें विशेषरूप से आर्थिक एवं सामाजिक रुप से कमजोर लोग अपनी आजीविका के लिये निर्भर हैं, आदि सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं अतः सरकार को उपरोक्त मुद्दों एवं चुनौतियों को ध्यान में रखकर इसके कानूनों, नियमों, कर की दरों एवं क्रियांवयन में सुधार करने चाहिये।

राज्य में पेंशन योजनाओं की स्थिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने बेसहारा, वृद्धजन, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्त नागरिकों के लिए सहायता उपलब्ध कराए। इन सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार ने सभी वंचितों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को आरम्भ किया। इसी प्रकार, राजस्थान में भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों एवं निःशक्तजनों के कल्याण के लिये कई कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इनमें पेंशन योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयी हैं। पेंशन योजनाओं की राशि राज्य बजट में मुख्य शीर्ष '2235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' के अंतर्गत आवंटित की जाती है तथा इन योजनाओं का क्रियान्वयन 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2016-17 में राज्य बजट से वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के कल्याण हेतु पेंशन योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने कुल 3682.35 करोड़ की राशि आवंटित की थी। यह राशि वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में आवंटित राशि से 343.38 करोड़ रु. कम है। वर्तमान वर्ष में वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के कल्याण हेतु पेंशन योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने कुल 3985.20 करोड़ की राशि आवंटित की है जो कि पिछले वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से करीब 42 करोड़ रु. ज्यादा है। इसी तरह वर्ष 2015-16 के वास्तविक खर्च के अनुसार राज्य सरकार ने वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के कल्याण हेतु पेंशन योजनाओं के लिये कुल 3549.61 करोड़ रु. का व्यय किया था। पिछले चार वर्षों में पेंशन योजनाओं में आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है।

सारणी 1: पेंशन योजनाओं पर व्यय (राशि करोड़ में)

लेखा शीर्ष	2014-15 (वास्तविक व्यय)	2015-16 (वास्तविक व्यय)	2016-17 (बजट अनुमान)	2016-17 (संशोधित अनुमान)	2017-18 (बजट अनुमान)
वृद्धावस्था पेंशन	2776.9	2683.25	2740	3004	3030
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन	136.02	114.87	131.7	126.64	126.88
अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	36.16	34.45	40.32	43.42	46.46
अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	55.3	50.58	59.5	57.44	62.7
वृद्धावस्था पेंशन का योग	3004.3	2883.15	2971.5	3231.5	3266.04
विधवा पेंशन	409.5	418.57	440	445.25	447
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन	23.8	22.23	25.42	22.98	24.38
अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	8.2	7.64	8.95	9.96	10.71
अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	7.4	7.27	8.36	8.86	9.56
विधवा पेंशन का योग	448.9	455.71	482.73	487.05	491.65
मुख्यमंत्री विशेषयोग्यजन सम्मान पेंशन योजना	205.5	204.04	220	216.5	218
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	4.55	4.37	5.08	5.53	5.95
अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	1.29	1.19	1.44	1.75	1.93
अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	1.36	1.15	1.58	1.46	1.63
विशेष योग्यजन पेंशन का योग	212.7	210.75	228.1	225.24	227.51
योग	3665.98	3549.61	3682.35	3943.79	3985.20

स्रोत: बार्क द्वारा बजट, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के विश्लेषण पर आधारित

वर्ष 2014-15 के वास्तविक व्यय में पेंशन योजनाओं हेतु कुल 3665.98 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई लेकिन अगले वर्ष 2015-16 के वास्तविक व्यय में इसको कम करके 3549.61 करोड़ रु. कर दिया गया। यदि देखा जाये तो 2014-15 की तुलना में 2015-16 में तीनों पेंशन योजनाओं की राशि में लगभग 116 करोड़ रु. की कटौती की गई है।

इस वर्ष मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को मुख्यशीर्ष '2235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' के उप मुख्यशीर्ष 60 में लघुशीर्ष 196 के उप शीर्ष (02) के आयोजना व्यय (01) के आयोजना भिन्न व्यय के मद में दिखाया जाता था। लेकिन इस वर्ष से राज्य सरकार द्वारा आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद को समाप्त करके राज्य निधि तथा केन्द्रीय निधि से व्यय को लागू किया गया है। इस वर्ष इन तीनों पेंशन योजनाओं के लिये आवंटित राशि में पिछले वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस वर्ष वृद्धावस्था पेंशन के लिये कुल 3266.04 करोड़ रु., विधवा पेंशन के लिये कुल 491.65 करोड़ रु. तथा निशक्त पेंशन हेतु कुल 227.51 करोड़ रु. की राशि व्यय हेतु रखी गई है।

वर्ष 2013-14 में राज्य की वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पात्रता हेतु लाभार्थियों के परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्य नहीं होने की शर्त के समाप्त होने के बाद तथा पेंशन योजनाओं के विस्तार के लिये 20 अप्रैल से 15 जून 2013 तक लगाये गये पेंशन शिविरों के कारण पेंशन लाभार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुयी। राज्य सरकार ने इस वर्ष बजट

घोषणा में वृद्धावस्था पेंशन की राशि की बढ़ोतरी करते हुए 500 की जगह 750 रु. मासिक पेंशन तथा सभी निशक्तजनों को एक समान 750 रु. मासिक पेंशन देने का अहम फैसला भी लिया है। इसके साथ ही अभी हाल में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके 4.10 इंच से कम कद वालों को बौनों की श्रेणी में मानते हुए उन्हें भी निशक्त पेंशन योजना का लाभ देने का निश्चय किया है।

सारणी 2: उक्त पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या (लाख में)

	वृद्धावस्था पेन्शन	विधवा पेन्शन	निःशक्त पेन्शन	कुल
31 मार्च 2013	8.71	4.04	1.64	14.40
31 मार्च 2014	45.91	7.66	3.57	57.15
19 मार्च 2015	46.6	7.6	3.6	57.8
21 मार्च 2016	46.6	7.7	3.6	57.9
31 जुलाई 2017	49.8	8.7	4.07	62.6

स्रोत : सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान (<http://rajssp.raj.nic.in>)

जैसा कि पहले बताया गया है, पेंशन योजनाओं में विस्तार के लिए किये गये प्रयासों के चलते लाभार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुयी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वैबसाइट पर मौजूद लाभार्थियों की संख्या पर दस्तावेज (सारणी 2) से ज्ञात होता है कि कुल पेंशन लाभार्थियों की संख्या 31 मार्च 2013 को 14.40 लाख से बढ़कर 15 जून 2013 को 40.43 लाख हो गयी, 31 मार्च 2014 में यह संख्या बढ़कर 57.1 लाख हो गयी है, परन्तु मार्च 2015 में लाभार्थियों की संख्या में केवल 65 हजार तथा मार्च 2016 में केवल 10 हजार की बढ़ोतरी हुयी है। लेकिन उपरोक्त तीनों पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या जुलाई 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.7 लाख बढ़कर लगभग 62.6 लाख हो गई है।

उपरोक्त पेंशन योजनाओं के बजट में राज्य सरकार ने पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में कोई खास वृद्धि नहीं की है, लेकिन दूसरी तरफ लाभार्थियों की संख्या तथा पेंशन की राशि में वृद्धि हुई है। अब जानना यह है कि सरकार कैसे सीमित बजट में पेंशन राशि का भुगतान पहले से अधिक लाभार्थियों को करेगी।

पृष्ठ 2 का शेष, नीति आयोग....

वरिष्ठ नागरिक – वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदे में उनकी आर्थिक व सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रख कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाये जाने तथा मेटेनेंस तथा वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 में सुधार किये जाने का सुझाव दिया है। जैसे कि इसके प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जिले में 150 वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वृद्धाश्रम होना चाहिए, जिसमें कि सुधार की जरूरत है। इसके अलावा कानून में वृद्धाश्रम के प्रबंधन के लिए कोई जानकारी नहीं है। मसौदे में कहा गया है कि आगामी तीन वर्षों में कम से कम 15 राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों लिए काउंसिल की स्थापना की जाये जिसमें उनकी समस्याओं का निपटारा अच्छे से हो सके और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सेवाओं की उपलब्धता ठीक से हो सके। अगले तीन वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला स्तर पर हेल्पलाइन की स्थापना की जाए। इसके अलावा सीधे लाभ वाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मोनिटरिंग, आधार के माध्यम से किये जाने का सुझाव है।

नीति आयोग ने यह एक नया दृष्टिकोण निर्धारित किया है, जिसमें 15 वर्ष की लंबी अवधि का एक विजन, सात साल की रणनीति और एक तीन साल का कार्य योजना एजेंडा शामिल है। कार्य योजना मसौदे को राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। एजेंडे में 300 से अधिक विशिष्ट कार्य बिंदुओं की पहचान की गई है, जो पूरे क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। आयोग का मानना है कि कार्य योजना की अवधि संयोग से 14वें वित्त आयोग की दी गई समय सीमा से मेल खाती है। इसने केंद्र और राज्य, दोनों के वित्तपोषण अनुमानों को स्थिरता प्रदान की है। नीति आयोग ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में राज्यों के सुझाव और सहयोग की मांग की है।

पृष्ठ 1 का शेष, भारत में श्रम कानूनों....

पर मौजूदा प्रारूप में अस्पष्टता है। कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य बीमा पॉलिसियों में नियोक्ताओं का अंशदान 30 फीसदी निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है जबकि अभी ये 31.5 फीसदी है।

मातृत्व लाभ के योग्य महिला वो होगी जिसने किसी संस्थान में, संभावित डिलीवरी की तारीख से तुरंत पहले के 12 महीनों के दौरान कम से कम 80 दिनों की अवधि तक वास्तव में काम किया हो, इस उपधारा (clause) से वे महिलाएं बाहर हो सकती हैं जिनके पास कोई नियमित रोजगार नहीं रहता है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण श्रम संहिता के प्रारूप में अभी काफी अस्पष्टता है जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण सवालों के संतोषजनक उत्तर नहीं हैं जैसे संहिता के अंतर्गत चलने वाली पूरी व्यवस्था में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों का कितना आर्थिक योगदान होगा? जिन असंगठित कामगारों के लिए नियोक्ताओं की पहचान कर पाना संभव नहीं होगा, उनके लिए नियोक्ता के बतौर जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? मौजूदा कानूनों जैसे ईएसआई, भविष्य निधि, बी. ओ. सी. डब्लू. ए. आदि के अंतर्गत अंशदान से जमा हुयी बड़ी राशियां का क्या भविष्य होगा? इन सवालों के साथ प्रारूप में अभी यह भी साफ नहीं है कि इस संहिता के अंतर्गत दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मजदूरों का कानूनी अधिकार मानी जाएंगी या नहीं।

संपादक	-	नेसार अहमद
संपादक मण्डल	-	महेन्द्र सिंह राव
	-	भूपेन्द्र कौशिक
	-	बरखा माथुर
	-	मौलीश्री धस्माना
	-	पीयूष शर्मा
सहयोग	-	अंकुश वर्मा
	-	भीमसिंह मीणा
सलाहकार	-	डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-



बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254

E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

सेवा में,

बुक पोस्ट

श्रीमान / श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड

पिन कोड

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र